भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 558

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल का अभाव

558. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक रेटिंग फर्म मूडी ने चेतावनी दी है कि भारत में बढ़ता जल का अभाव देश की सॉवरेन क्रेडिट स्ट्रिेन्थम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में तेजी से घट रहा जल स्तर कोयला विद्युत उत्पादकों और इस्पात निर्माताओं जैसे औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2021 में पहले से ही निम्न 1486 क्यूबिक मीटर से घटकर 2031 तक 1367 क्यूविक मीटर होने की आशंका है;

(ङ) यदि हां, तो भावी पीढ़ी के लिए जल संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार ने जल संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों के बीच कोई पहल या जागरूकता अभियान शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

क) और (ख): ग्लोबल रेटिंग फर्म मूडी के अनुसार, जैसा कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, जल की कमी भारत की स्वायत्त क्रेडिट क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

किसी भी क्षेत्र अथवा देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता मुख्य रूप से जल-मौसम वैज्ञानिक और भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित "अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करते हुए भारत में जल उपलब्धता का पुनः आकलन, 2019" विषयक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2021 और 2031 के लिए औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1486 घन मीटर और 1367 घन मीटर है। 1,700 घन मीटर से

कम की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल की कमी की स्थिति माना जाता है, जबकि 1,000 घन मीटर से काम वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल संकट की स्थिति माना जाता है।

(ग): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा मॉनिटरिंग कूपों के नेटवर्क के माध्यम से मार्च / अप्रैल / मई, अगस्त, नवम्बर और जनवरी माह के दौरान वर्ष में चार बार क्षेत्रीय स्तर पर देश भर में भूजल स्तर की मॉनिटरिंग किया जाता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा कोयला विद्युत उत्पादकों और इस्पात निर्माताओं जैसे औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों में तेजी से घटते जल स्तर के प्रभाव के समाधान के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देश, दिनांक 24.09.2020 यथा संशोधित दिनांक 29.03.2023 के अनुसार उद्योगों, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और खनन परियोजनाओं को भूजल निष्कर्षण के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)' जारी किया जाता है।

(घ) और (ड़): जल राज्य का विषय है। जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 7 राज्यों नामतः हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकों की 8203 जल की कमी वाले ग्राम पंचायतों (जीपी) में 6,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये योजनाएं भूजल निकासी से भूजल प्रबंधन की ओर हुए मूलभूत परिवर्तन का द्योतक हैं। यह योजना मांग पक्ष उपायों (जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों का उपयोग आदि) के साथ-साथ आपूर्ति पक्ष उपायों (जैसे चेक बांध, खेत तालाब और अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं) पर केंद्रित है।

आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के एक भाग के रूप में दिनांक 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मिशन अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए जल संरक्षण करना है। इस मिशन का लक्ष्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना है।

भारत सरकार द्वारा राज्यों की साझेदारी में वर्ष 2024 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के सेवा स्तर पर देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पेय जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यकन्वयन किया जा रहा है। प्रत्येक घर में

नल का जल उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, जेजेएम द्वारा प्राकृतिक वनस्पति और स्वदेशी तकनीकों का उपयोग कर ग्रे वाटर प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुन: उपयोग जैसे स्रोत स्थिरता उपायों के कार्यान्वयन पर जोर दिया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2021- 22 से 2025-26) की अवधि के लिए अमृत 2.0 का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य देश के सभी वैधानिक शहरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। अमृत 2.0 उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग, जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण के माध्यम से निर्दिष्ट शहरों को जल सुरक्षित बनाने पर केंद्रित है। वर्षा जल संचयन और जलभृत के पुनर्भरण के लिए शहरी क्षेत्रों में भवन उप-नियम बनाए गए हैं।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत में जल की प्रत्यक्ष पहुंच में वृद्धि और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि था। वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत देश में 77,595 करोड़ रुपये की शेष अनुमानित लागत वाली 99 चालू वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को राज्यों के परामर्श से चरणों में पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर शुरू की गई है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई को जारी रखने के लिए भारत सरकार द्वारा 93,068.56 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ इसे मंजूरी दी गई है।

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - हर खेत को पानी के तहत शामिल किया गया है। कमान क्षेत्र विकास संबंधी कार्य शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में वृद्धि करना और सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) के माध्यम से स्थायी आधार पर कृषि उत्पाद में सुधार करना है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के "प्रति बूंद अधिक फसल" घटक का कार्यान्वयन भारत में वर्ष 2015-16 से किया जा रहा है । पीएमकेएसवाई- "प्रति बूंद अधिक फसल" मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है।

सरकार द्वारा सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय के

अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना की गई है और इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ जल की उपलब्धता का आकलन भी शामिल है।

भारत सरकार द्वारा जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अंतरित करने के लिए नदियों को परस्पर जोड़ने की एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के अंतर्गत व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 लिंकों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की गई है। तथापि, नदी को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाएं अधिकांशत सहभागी राज्यों के मध्य जल की हिस्सेदारी की सहमति पर निर्भर करती हैं।

जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जल संरक्षण, भूजल के नियंत्रण और विनियमन के लिए तथा वर्षा जल संचयन / कृत्रिम पुनर्भरण / जल उपयोग दक्षता आदि के संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf

(च): राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) द्वारा वर्ष 2019 में 'सही फ़सल' अभियान आरंभ किया गया था, ताकि जल की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को जो जल का कुशलतापूर्ण उपयोग वाली, आर्थिक रूप से लाभकारी, स्वस्थ और पौष्टिक, क्षेत्र की कृषि-जलवायु-जलविद्युत विशेषताओं एवं पर्यावरण के अनुकूल फ़सलें उगाने के लिये प्रेरित किया जा सके

वर्ष 2019 में देश के 256 जल की कमी वाले जिलों के 2,836 ब्लॉकों में से 1,592 ब्लॉकों में जल शक्ति अभियान-I (जेएसए-I) का आरंभ किया गया था और जिसे "कैच द रेन - व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स" विषय के साथ वर्ष 2021 में "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) के रूप में जारी रखा गया था, ताकि देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को इसके तहत शामिल किया जा सके। दिनांक 9 मार्च, 2024 को जेएसए की श्रृंखला में पांचवां अभियान "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) -2024 अभियान का शुभारंभ किया गया था। यह अभियान जल संरक्षण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए "नारी शक्ति से जल शक्ति" विषय के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के देश के सभी जिलों को शामिल करता है। इस अभियान के मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन (ii) सभी जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और इन्हें सूचीबद्ध करना (iii) जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना (iv) गहन वनीकरण और (v) जागरूकता का सृजन।

वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) योजना के तहत प्रत्येक वर्ष समय-समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम (प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, व्यापार मेले और चित्रकला प्रतियोगिताएं आदि) आयोजित किए जाते हैं।

*****